न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी	:	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.,
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	:	96 / 2020
सी.आई.एस. संख्या	:	96 / 2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	24 / 2020 (पुलिस थाना डेगाना)
CNR No.	:	RJMR15-000178-2020

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, डेगाना

— अभियोजन

बनाम

कैलाश राम पुत्र मनोहर राम, उम्र 27 वर्ष, निवासी सिडियास, पुलिस थाना पीलवा, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।

— अभियुक्त

अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :—

1. श्रीमती कमलेश चौधरी, विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

:: निर्णय :: **दिनांक : 02.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया ग्यारसी ने एक परिवाद न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादिया का विवाह माफिक हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार मुलजिम कैलाश के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के पश्चात पति पत्नी धर्म का निर्वहन करने से परिवादिया के संतान सुपार का जन्म हुआ। विवाह के समय परिवादिया के माता—पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज का सामान स्त्रीधन गहना इत्यादि दिया, जो परिवादिया अपने साथ ससुराल लेकर चली गई थी। विवाह के पश्चात् मुलजिम कैलाश, मनोहर, राजुड़ी परिवादिया को दहेज की मांग को लेकर तंग, परेशान, प्रताड़ित करना

शुरू कर दिया एवं मुलजिमान ने कहा कि तेरे माता–पिता ने दहेज का सामान कम दिया, इसलिए तू तेरे माता–पिता से 40 हजार रूपये व एक मोटरसाइकिल लेकर आ। परिवादिया पुनः अपने पीहर आई, तो उक्त घटना की जानकारी अपने माता–पिता को दी, जिस पर परिवादिया के माता–पिता ने कहा कि मुलजिमान को समझा देंगे। परिवादिया पुनः ससुराल गई, तो मुलजिमान ने कहा कि तेरे माता–पिता ने रूपये व मोटरसाइकिल बाबत क्या कहा, तब परिवादिया ने कहा कि मेरे माता–पिता गरीब है, जो आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं, इस पर मुलजिमान ने परिवादिया के साथ कई बार मारपीट की एवं परिवादिया पुनः पीहर आई, तो इस घटना की जानकारी परिवादिया ने अपने माता–पिता को दी व मुलजिमान की दहेज की मांग अधिक बढ़ जाने के कारण परिवादिया के पिता ने परिवादिया के सुखद भविष्य हेतु मुलजिमान को 40,000 / – दे दिये थे। इसके पश्चात् भी मुलजिमान शांत नहीं हुवे व मोटरसाइकिल की मांग कायम रखी व परिवादिया साथ कई बार मुलजिमान ने मारपीट की व तंग–परेशान प्रताड़ित किया एवं परिवादिया को खाना तक नहीं देते एवं क्रूरता का व्यवहार करते थे, इस दौराने परिवादिया के पिता ने मुलजिमान को समझाईश करवाई व रिश्तेदार किशोर पुत्र बलदेव बागरिया निवासी रोहिंडी से भी समझाईश करवाई, लेकिन मुलजिमान नहीं माने व अपनी मांग पर कायम रहे। आज से करीब 6 माह पूर्व मुलजिमान सभी ने मिलकर परिवादिया के साथ दहेज की मांग करते हुवे मारपीट कर तमाम प्रकार का स्त्रीधन छिनकर परिवादिया को घर से बाहर निकाल दिया, तब परिवादिया अपनी संतान को लेकर अपने पीहर ग्राम चुई आ गई थी। आज से 5 रोज पूर्व मुलजिमान सभी परिवादिया के पिता के घर ग्राम चुई आये व कहा कि कैलाश अन्य स्त्री से पुनःविवाह करना चाहता है। इसलिए आप विवाह विच्छेद की लिखापढी करों तब परिवादिया ने मना किया, तो मुलजिमान ने मारपीट की। मुलजिमान से परिवादिया ने अपना स्त्रीधन वापस मांगा तो देने से मना कर दिया।

2. उक्त परिवाद अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच हेतु संबंधित पुलिस थाना डेगाना पर भेजे जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 24 / 2020, अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्रकरण में बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12.09.2025 को अभियुक्त व परिवादिया के मध्य धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा होने से पक्षकारान द्वारा उक्त धारा में राजीनामे की अनुमति का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति होना जाहिर किया गया, परंतु उक्त अपराध आशमनीय प्रकृति का होने से उक्त राजीनामे का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप निम्नलिखित गवाह परीक्षित करवाए गए हैं :–

अभियोजन गवाह सं.	**गवाह का नाम**	**विवरण**
पीडब्ल्यू 1	ग्यारसी	स्वयं परिवादिया / पक्षद्रोही गवाह, परिवाद, चाक एफआईआर, स्वयं के पुलिस बयान
पीडब्ल्यू 2	सुरेश	स्वतंत्र गवाह / पक्षद्रोही गवाह स्वयं के पुलिस बयान
पीडब्ल्यू 3	रामकरण	परिवादिया का पिता / पक्षद्रोही गवाह स्वयं के पुलिस बयान
पीडब्ल्यू 4	भंवरी देवी	परिवादिया की माता / पक्षद्रोही गवाह, स्वयं के पुलिस बयान
पीडब्ल्यू 5	श्योदान	स्वतंत्र गवाह

पीडब्ल्यू 6	रूपाराम	अनुसंधान अधिकारी, परिवाद, चाक एफआईआर, गवाहान के पुलिस बयान

6. अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए :—

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण**	**गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया**
प्रदर्श पी 1	परिवाद	पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 2	चाक एफ.आई.आर.	पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 3	परिवादिया ग्यारसी के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 4	गवाह सुरेश के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 2
प्रदर्श पी 5	गवाह रामकरण के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 3
प्रदर्श पी 6	गवाह भंवरी देवी के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 4

7. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध दिए गए बयानों को गलत होने व फंसाए जाने के लिए दिया जाना बताते हुए कथन किया कि *निर्दोष हूं, झूंठा फंसाया है।* अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

8. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अभियोजन अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि प्रकरण में परिवादिया एवं अन्य गवाह परीक्षित हुए हैं। परिवाद पर हस्ताक्षर होना परिवादिया ने स्वीकारा है, इससे विरोधाभासी व मिथ्या कथन सशपथ साक्ष्य के दौरान न्यायालय में अभिकथित किये गये हैं। परिवादिया के परिवाद पर ही अभियोग संस्थित किया गया है, जिसके बयानों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के विपरीत व मिथ्या कथन अपने सशपथ साक्ष्य में दिये गये हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि परिवादिया द्वारा किसी निजी मन्तव्य को पूरा करने के आशय से आपराधिक न्याय प्रशासन को

गतिशील किया तथा अपने निजी हित पूर्ण होने की संभावना के चलते न केवल पक्षद्रोही रहे हैं, बल्कि न्यायालय के समक्ष सत्य कथन करने हेतु आबद्ध होते हुये भी मिथ्या कथन किया है। इस प्रकार परिवादिया ने न्यायिक कार्यवाही को हल्के में लिया है। अतः परिवादिया के खिलाफ शपथ–पत्र मिथ्या कथन करने के आधार पर विधि सम्मत् कार्यवाही की जानी चाहिए। अभियोजन अधिकारी ने ये भी तर्क दिया कि समस्त साक्षी पक्षद्रोही हो जाने पर भी मात्र धारा 161 द.प्र.स. के कथनों के आधार पर सजा दी जा सकती है। अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए :–

1. 2011 Cr.L.J. 2903 Bhagwandas Vs State of Delhi NCT.

2. 2011 Cr.L.J. 663 Paramjeet Singh @ Pamma Vs Uttrakhand.

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्कपूर्ण निवेदन किया कि गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। मुख्य गवाह पक्षद्रोही रहे हैं। परिवादिया ने अपने पति पर झूठा आरोप लगाते हुए रिपोर्ट पेश की थी, परंतु बाद में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। परिवादिया अब अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अभियुक्त का तथाकथित अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराणार्थ बिन्दु यह है कि :–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.01.2020 से पूर्व एवं विवाह के पश्चात् परिवादिया के पति होते हुए समय–समय पर दहेज की मांग को लेकर परिवादिया को तंग व परेशान कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
2. यदि हां तो प्रकरण में उचित सजा क्या होगी ?

11. अब न्यायालय को देखना है कि क्या पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदु को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

12. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादिया ग्यारसी पीडब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि, *''लगभग 8 साल पहले मेरी शादी कैलाश के साथ हुई थी। हमारे एक बच्चा हुआ। मेरा अपने पति के साथ घरेलू बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अब हमारे राजीनामा हो गया है। कैलाश ने दहेज नहीं मांगा था।''* अभियोजन अधिकारी द्वारा परिवादिया को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई, जिसमें परिवादिया ने कथन किए हैं कि, *''मैंने मुकदमा दर्ज कराने लिए परिवाद पेश किया, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा निशान है। चाक एफआइआर पी 2 है। मेरे पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 मे ए से बी हिस्सा मैंने नहीं लिखवाया। यह सही है कि मेरा मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है।''* इसी प्रकार वकील मुलमिज द्वारा की गई जिरह में परिवादिया ने कथन किए हैं कि, *''यह सही है कि घरेलु बातों को लेकर विवाद होने से मुकदमा दर्ज करवाया था। मैंने यह मुकदमा तलाक के लिये दर्ज करवाया था। अब हमारे तलाक हो गया है, इसलिए मैं इस केस में कार्यवाही नहीं चाहती हूं।''* इस प्रकार प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादिया ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं दी है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान पीडब्ल्यू 2 सुरेश, पीडब्ल्यू 3 रामकरण व पीडब्ल्यू 4 भंवरी देवी हैं। उक्त तीनों गवाहान को भी अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है तथा दौराने जिरह भी उक्त गवाहान ने परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में

अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं की है। अन्य गवाह पीडब्ल्यू 5 श्योदान ने अपने मुख्य परीक्षण में कैलाश द्वारा ग्यारसी को तंग व परेशान करने के कथन किए हैं, परंतु अपनी जिरह में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किए हैं कि, *''यह सही है कि कैलाश ने ग्यारसी से कोई दहेज की बात नहीं की थी। आपस में ही विवाद होने से ग्यारसी अपने पीहर चली गई थी।''*

14. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रूपाराम पीडब्ल्यू 6 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं के द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करते हुए अनुसंधान का विस्तृत विवेचन किया है और मुलजिम के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 498ए आईपीसी में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश किए जाने का कथन किया है।

15. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से यह दृष्टिगत होता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने वाली स्वयं परिवादिया पीडब्ल्यू 1 ग्यारसी तथा अन्य मुख्य गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा उन्होंने किसी भी प्रकार से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। साथ ही परिवादिया ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मेरा मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है। यह सही है कि घरेलु बातों को लेकर विवाद होने से मुकदमा दर्ज करवाया था। मैंने यह मुकदमा तलाक के लिये दर्ज करवाया था। अब हमारे तलाक हो गया है, इसलिए मैं इस केस में कार्यवाही नहीं चाहती हूं। इस प्रकार परिवादिया व गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि स्वयं परिवादिया ने ही सुदृढ़ रूप से अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए मुलजिम को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि कोई भी साक्षी अभियुक्त के विरूद्ध कथन नहीं करते हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय अपराध बाबत् कोई ठोस, सटीक, विश्वसनीय, सारगर्भित व सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

की गई है, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्प्रद प्रकट होती है। यह सुस्थापित विधि है कि सुदृढ़ साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अभियोजन कहानी सुदृढ़ रूप से साबित नहीं होती है। ऐसी विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्याय की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों से प्रकरण में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ मुलजिम प्राप्त करने का अधिकारी है।

16. अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर उक्त धारा में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

: : <u>आदेश</u> : :

17. अतः अभियुक्त कैलाश राम पुत्र मनोहर राम, उम्र 27 वर्ष, निवासी सिडियास, पुलिस थाना पीलवा, जिला डीडवाना–कुचामन, राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत 498ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

18. निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र